

किसान कलेवा योजना-2014

मण्डी प्रांगण में आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु -किसान कलेवा योजना-2014

1	योजना का नाम (हिन्दी में)	किसान कलेवा योजना-2014
2	English में	Kisan kaleva yojana-2014
3	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशिष्ट श्रेणी, "अ" श्रेणी व "ब" श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों (फल-सब्जी मण्डी समितियों को छोड़कर) में कृषि जिन्स विक्रय हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक व उसके सहयोगी को कूपन व्यवस्था के माध्यम से उस दिन सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "किसान कलेवा योजना" 2014 लागू की गई है।
4	योजना प्रारम्भ करने की तिथि	21.12.2009 को "आपणी रसोई योजना" को संशोधित कर 20.01.2014 को "किसान कलेवा योजना" प्रारम्भ।
5	लाभान्वित वर्ग	किसान एवं मण्डी समिति में पंजीकृत हमाल
6	पात्रता	मण्डी प्रांगण में अपनी कृषि उपज बेचने हेतु आने वाले कृषक एवं मण्डी प्रांगण में कार्यरत पंजीकृत हमाल।
7	योजना का लाभ जिन परिस्थितियों में देय होगा	मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक को भोजन के कूपन मण्डी गेट पर वाहन की एन्ट्री करते समय दिये जाते हैं तथा मण्डी प्रांगण में कार्यरत पंजीकृत हमाल को काये करने वाले दिवस हेतु भोजन कूपन दिये जाने का प्रावधान है।
8	देय सुविधायें।	योजना के अन्तर्गत एक थाली में निम्नलिखित प्रकार से भोजन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी:- 1. चपाती 8 (250 ग्राम आटा) 2. दाल एक कटोरी (125 ग्राम) 3. सब्जी एक कटोरी (125 ग्राम) 4. गुड़ 50 ग्राम (सर्दियों में-अक्टू से मार्च) 5. छाछ 200 मिली (गर्मियों में-अप्रैल से सितम्बर) भोजन थाली का अधिकतम मूल्य 40.00 रु0 निर्धारित है जिसमें से 35 रु0 मण्डी समिति द्वारा अनुदान दिया जायेगा व 5 रु0

		कृषक/हमाल /मजदूर द्वारा वहन किया जायेगा।
9	भोजन कूपन प्राप्त करने का तरीका	मण्डी प्रांगण के प्रवेश द्वारा पर वाहन का प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर प्रति वाहन अधिकतम 2 कूपन का एवं पंजीकृत हमाल को अपना पंजीकरण पत्र दिखाने पर किसान कलेवा योजना का भोजन कूपन मण्डी समिति कर्मचारी द्वारा दिया जायेगा।
10	मण्डी समितियां जहाँ पर किसान कलेवा योजना लागू है।	राज्य में स्थित सभी विशिष्ट श्रेणी, "अ" श्रेणी एवं "ब" श्रेणी की मण्डी समितियां। फल सब्जी मण्डी समितियों में यह योजना लागू नहीं है। "स" एवं "द" श्रेणी की मण्डी समितियों की आर्थिक स्थिति एवं व्यवस्थाये अच्छी है एवं वे मण्डी समितियां इस योजना को लागू करने में रुचि रखती है उन मण्डी समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार से अनुमति पश्चात् इस योजना को लागू किया जा सकेगा।

राज्य में स्थित विशिष्ट श्रेणी "अ" श्रेणी एवं "ब" श्रेणी की मण्डी समितियां

विशिष्ट श्रेणी की मण्डी समितियाँ		"अ" श्रेणी की मण्डी समितियाँ		
जयपुर (अनाज)	चौमूँ	भीलवाडा	निवाई	खैरली
कोटा (अनाज)	भवानीमण्डी	छबडा	इटावा	सवाईमाधोपुर
बून्दी	बारां	गंगापुरसिटी	झालनापाटन	प्रतापगढ
भरतपुर	अलवर	उदयपुर(अनाज)	सोजतराड	मेडतासिटी
खैरथल	हनुमानगढ	सुमेरपुर	बाडमेर	नागौर
श्रीगंगानगर (अनाज)	बीकानेर(अनाज)	अनुपगढ	श्रीविजयनगर	रायसिंहनगर
जोधपुर (अनाज)	रामगंजमण्डी	पदमपुर	सादुलशहर	संगरिया
		रावतसर	पीलीबंगा	सीकर
		श्रीमाधोपुर	चौमेहला	
<u>" ब " श्रेणी की मण्डी समितियाँ</u>				
लालसोट	धौलपुर	सूरतगढ	बिजयनगर	नोखा
श्रीकरणपुर	हिण्डोन	गजसिंहपुर	निम्बाहेडा	मालपुरा
धडसाना	नगर	बयाना	दौसा	अजमेर (अनाज)
गोलूवाला				

"स" श्रेणी की मंडी समितियां

फतेहनगर

टोंक

केकडी

गौण मंडी यार्ड - पूगलरोड़ (बीकानेर अनाज) एवं अटलबन्द (भरतपुर)